भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 241

दिनांक 03 **फरवरी**, 2022

पीएमयूवाई की मुख्य विशेषताएं

241. **श्रीमती जसकौर मीना**:
श्री सौमित्र खान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और राजस्थान में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;
(घ) क्या सरकार योजना के दूसरे चरण पर काम कर रही है;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;और
(च) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क): 8 करोड़ गरीब परिवारों को बिना जमानत राशि वाले एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 01.05.2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई चरण-I) की शुरूआत की गई थी। योजना के लक्ष्य को सितम्बर, 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। पीएमयूवाई चरण-I के तहत पहले से जारी किए गए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के अलावा, अखिल भारतीय आधार पर बिना जमानत राशि वाले 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए दिनांक 10

अगस्त, 2021 को उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी। उज्ज्वला 2.0 के तहत, लाभार्थियों को नि:शुल्क पहली रीफिल और चूल्हे के साथ बिना जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। गरीब परिवार की व्यस्क महिला के नाम से एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाता है, बशर्ते परिवार के किसी सदस्य के नाम में कोई एलपीजी कनेक्शन मौजूद न हो और लाभार्थी अन्य निबंधन और शर्तों को पूरा करती हो। लाभार्थी की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) सूची से अथवा पहचान की गई अन्य सात श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एसएसी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ी श्रेणियां (एमबीसी), प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों, वन्य निवासियों, द्वीपों और नदी द्वीपों में निवास कर रहे लोगों, चाय बगान/पूर्व चाय बागान कामगारों अथवा उक्त श्रेणियों में कवर नहीं किए गए गरीब परिवारों से की जाती है। प्रवासी परिवारों को नया कनेक्शन लेने के लिए पते का प्रमाण (पीओए) और राशन कार्ड (आरसी) का प्रमाण देने के बजाय स्व-घोषणा देने का विशेष प्रावधान किया गया है। यह कनेक्शन 14.2 कि.ग्रा. सिंगल बॉटल कनेक्शन (एसबीसी)/5 कि.ग्रा. एसबीसी/5 कि.ग्रा. डबल बॉटल कनेक्शन (डीबीसी) के रूप में लिया जाता है।

(ख) और (ग): पीएमयूवाई योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। दिनांक 01.01.2022 की स्थिति के अनुसार राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में पीएमयूवाई के तहत जारी एलपीजी कनेक्शनों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

राज्य	जारी कनेक्शनों की संख्या
राजस्थान	66.11 लाख
पश्चिम बंगाल	108.98 लाख

(घ) से (च): सरकार ने मौजूदा तौर तरीकों पर उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से योजना का जनवरी, 2022 में विस्तार कर दिया है।

****